उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या 964 /XIII-II/40(1)/2014
देहरादूनः दिनांकः 20/12/ , 2016

# अधिसूचना

## उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी संविदा कृषि–कर्म (विकास एवं विनियमन) नियमावली, 2016

राज्यपाल, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों/विनियमों को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

### अध्याय–एक
### प्रारम्भिकी

**संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी संविदा कृषि–कर्म (विकास एवं विनियमन) नियमावली 2016 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगी जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

**परिभाषाएं**

2. (1) इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) **"मंडी अधिनियम"** से उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 अभिप्रेत है;

(ख) **"प्रपत्र"** (फार्म) से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत हैं;

(ग) **"सचिव"** से कृषि उत्पादन मण्डी समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) **"धारा"** से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

### अध्याय–दो
### संविदा कृषि

**संविदा कृषि हेतु पंजीकरण की प्रकिया**

3. (1) मंडी समिति जिसके कार्यक्षेत्र में संविदा कृषक की भूमि स्थित हो, का सचिव मंडी अधिनियम की धारा 79 (क) एवं 79 (ख) के अधीन नियत प्राधिकारी माना जाएगा;

परन्तु, यह कि यदि प्रश्नगत भूमि एक से अधिक मंडी समितियों के क्षेत्र में स्थित हो, तो ऐसी मंडी समितियों में से उस मंडी समिति क्षेत्र का सचिव नियत प्राधिकारी होगा जिसके समक्ष संविदा कृषि उपज केता द्वारा पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाय।

(2) संविदा कृषि करार को संलग्न प्रपत्र 10 पर संविदा कृषक एवं संविदा कृषि उपज के क्रेता के मध्य निष्पादित किया जायेगा।

(3) (एक) प्रत्येक संविदा कृषि प्रायोजक जिसके द्वारा संविदा कृषि हेतु किसी कृषक से करार किया जाना हो अथवा करार कर लिया गया हो, स्वयं का संविदा कृषि प्रायोजक के रूप से पंजीकरण कराने के लिए लिखित आवेदन संलग्न प्रपत्र 11 में विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(दो) विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर पंजीकरण की सूचना संलग्न प्रपत्र 12 में उसे डाक एवं ई–मेल द्वारा दी जायेगी।

(तीन) पंजीकरण एक समय में पांच वर्ष के लिए मान्य होगा।

(4)(एक) संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा करार का पंजीकरण कराने अथवा पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के लिये प्रपत्र 11में निहित दस्तावेजों एवं पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क की धनराशि प्रति करार प्रति फसल रू0 1000/–(एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर नियम–3(1) में निर्धारित विहित प्राधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन करेगा।

(दो) आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण की सूचना डाक द्वारा तथा ई–मेल द्वारा संविदा प्रायोजक को दी जायेगी।

(5) मंडी अधिनियम की धारा 79 (ग) के अंतर्गत विवादों के निस्तारण हेतु प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड विहित प्राधिकारी होंगे।

(6) मंडी अधिनियम की धारा 79 (घ) के अधीन प्रमुख सचिव, न्याय अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव, न्याय से अनिम्न अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

आज्ञा से,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

# संविदा कृषि मॉडल करार

प्रपत्र सं0 10
नियम 3 (2)

यह करार दिनांक ....., 20 को स्थान ..... श्री/श्रीमती ..... ..... आयु .....निवासी..... (प्रथम पक्ष) एवं श्री/श्रीमती .....आयु ..... निवासी ..... ..... (द्वितीय पक्ष)

(जब तक संदर्भ से असंगत नहीं है प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती) भी शामिल हैं।

मैसर्स .....कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अन्तर्गत संस्थापित एक प्राइवेट/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है और इसका पंजीकरण कार्यालय ..... ....पर है जिसे दूसरे भाग का द्वितीय पक्ष कहा गया है।

पहले भाग का पक्षकार कृषीय भूमि का स्वामी/कृषक है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है–

| ग्राम | मद संख्या | क्षेत्र, हैक्टेयर में | तहसील और जिला | राज्य |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

द्वितीय पक्ष कृषि उपज का व्यापार कर रहा है और भूमि तैयार करने, नर्सरी उर्वरण, नाशीजीव प्रबंधन, सिंचाई, फसल कटाई और सदृश बातों के संबंध में तकनीकी जानकारी भी प्रदान कर रहा है।

द्वितीय पक्ष विशेषकर यहॉ संलग्न सूची–1 में उल्लिखित कृषि उपज की मदों में अधिक आकृष्ट है और द्वितीय पक्ष के अनुरोध पर, प्रथम पक्ष यहॉ संलग्न सूची–1 में उल्लिखित कृषि उपज की मदों की खेती और उपज बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है।

दोनों पक्षकार, इसमें आगे लिखी गई रीति से लिखित में, शर्ते कम करने के लिए करार करते हैं।

यह करार इस बात का साक्षी है कि यह निम्नानुसार इसके पक्षकारों और उनके बीच किया गया।

**खण्ड–1**

प्रथम पक्ष कृषि का उत्पादन करने और द्वितीय पक्ष को देने के लिए सहमत है और द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से कृषि उपज की मदों की खरीद करने के लिए सहमत है, मदों के ब्यौरे, गुणवत्ता, मात्रा और मदों की कीमतें इसकी उपाबद्ध सूची–1 में विशेष रूप से उल्लिखित है।

**खण्ड–2**

कृषि उपज जिसके ब्यौरे इसके उपाबद्ध अनुसूची–1 में उल्लिखित किए गए हैं, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का इसकी .....तारीख के ..... माह/वर्ष की अवधि के अंदर प्रदान की जाएगी।

अथवा

दोनों पक्षकारों के बीच स्पष्ट रूप से सहमति है कि यह करार कृषि उपज जिसके ब्यौरों का वर्णन इसकी उपाबद्ध सूची–1 में किया गया है, के लिए है और यह ..... माह/वर्षो की अवधि के लिए और इस अवधि के समाप्त होने पर यह करार स्वतः समाप्त हो जाएगा।

**खण्ड–3**

प्रथम पक्ष खेती करने और इससे उपाबद्ध सूची–1 में उल्लिखित मात्रा को द्वितीय पक्ष को देने के लिए सहमत है।

**खण्ड–4**

प्रथम पक्ष अनुसूची–1 में निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशनों के अनुसार संविदागत मात्रा को देने के लिए सहमत है। यदि कृषि उपज सहमत किये गये गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं है, तो द्वितीय पक्ष इसके कारण कृषि उपज की सुपुर्दगी को मना करने का पात्र होगा।

(क) प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को पारस्परिक बातचीत से पुनः तय की गई कीमत पर उपज को बेचने के लिए मुक्त होगा।

अथवा

(ख) मुक्त मंडी (खुले बाजार) में (थोक क्रेता अर्थात निर्यातक/निर्माता आदि) और यदि वह संविदागत कीमत से कम कीमत प्राप्त करता है तो द्वितीय पक्ष को अपने निवेश के अनुपात में कम देगा।

अथवा

(ग) मंडी यार्ड में और यदि प्राप्त की गई कीमत संविदागत कीमत से कम है तो यह अपने निवेश के अनुपात में, निवेश के अनुपात में द्वितीय पक्ष को कम लौटाएगा।

यदि द्वितीय पक्ष अपने किन्हीं कारणों से संविदागत उपज की सुपुर्दगी को लेने से मना करता है/लेने में असफल है तो प्रथम पक्ष उपज को मुक्त मंडी में बेचने के लिए मुक्त होगा और यदि प्राप्त की गई कीमत संविदागत कीमत से कम है और यह अंतर द्वितीय पक्ष के कारण होगा तो द्वितीय पक्ष उक्त अंतर को प्रथम पक्ष को ..... दिनों के अवधि के अंदर देगा।

**खण्ड–5**

प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझावों के अनुसार भूमि तैयार करने, नर्सरी, उर्वरण, नाशीजीव प्रबंधन, सिंचाई, फसल कटाई और अन्य बातों के बारे में अनुदेशों/पद्धतियों को स्वीकार करने अनुसूची–1 में उल्लिखित विनिर्देशनों के अनुसार मदों की खेती करने के लिए सहमत है।

**खण्ड–6**

दोनों पक्षकारों के बीच स्पष्ट रूप से यह सहमति है कि सुपुर्दगी निम्न शर्तों के अनुसार होगी और सुपुर्दगी के तुरन्त बाद पारेषण पर्ची दी जाएगी।

| तारीख | सुपुर्दगी | सुपुर्दगी की लागत |
|---|---|---|
| | | |

यह भी सहमति हुई है कि द्वितीय पक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुपुर्दगी के बाद सुपुर्दगी स्थल पर संविदागत उत्पाद को कब्जे में लें और यदि यह ..... अवधि के अंदर सुपुर्दगी लेने में असफल होता है तो प्रथम पक्ष संविदागतप्रद कृषि उत्पाद को निम्नानुसार बेचने के लिए मुक्त होगा।

(क) मुक्त मंडी में (थोक क्रेता अर्थात निर्यातक/संसाधक/निर्माता आदि) और यदि वह संविदागत कीमत से कम कीमत प्राप्त करता है तो वह द्वितीय पक्ष को अपने निवेश के अनुपात में कम देगा।

(ख) मंडी यार्ड में और यदि प्राप्त की गई कीमत संविदागत कीमत से कम है तो वह अपने निवेश के अनुपात में, निवेश के अनुपात में द्वितीय पक्ष को कम लौटाएगा।

**खण्ड–7**

फसल की कटाई के बाद जब उसे द्वितीय पक्ष को सौंप दिया जाता है, तब द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को दिये गये सभी अग्रिमों की बकाया राशि की कटौती के बाद, उसे अनुसूची–1 में उल्लिखित कीमत/दर देगा।

भुगतान के लिए निम्न सूची का अनुपालन किया जाएगा।

| तारीख | भुगतान का तरीका | भुगतान का स्थान |
|---|---|---|
| | | |

**खण्ड–8**

इसके पक्षकार इससे उपाबद्ध अनुसूची–1 में उल्लिखित संविदागत उपज को, दैवीय प्रकोप, विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों के नाश, ऋण दोष और उत्पादन एवं आय में हानि और अन्य कार्य अथवा घटनाएं जो पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर हैं जैसे गंभीर बीमारी, महामारी फैलने से अथवा असामान्य मौसम, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान, भूकम्पों, आग अथवा अन्य महाविपत्तियों, युद्ध के कारण बहुत कम उत्पादन और सरकार के कार्य जो इस करार के समय अथवा इसकी प्रभावी तारीख पर किये गये हैं जो कृषक के दायित्व को पूरा होने में पूर्णतः अथवा अंशतः अथवा अंशतः घोषित करते हैं, के कारण होने वाली हानियों के जोखिम से बचाने के लिए ..... ..... की अवधि के लिए बीमा कराएंगे। अनुरोध पर ऐसे कार्यो को करने वाली प्रथम पक्ष तथ्यों की विद्यमानता की पुष्टि द्वितीय पक्ष को देगा। ऐसे साक्ष्य में समुचित सरकारी विभाग के प्रमाण–पत्र का विवरण शामिल होगा। यदि ऐसा विवरण अथवा प्रमाण–पत्र युक्तियुक्त प्रकार से प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे कार्यों का दावा करने वाला प्रथम पक्ष इसके विकल्प के रूप में नोटरी विवरण तैयार करेगा जिसमें दावा किये गये तथ्यों के ब्यौरों और कारणों का वर्णन होगा कि क्यों इस प्रकार का प्रमाण–पत्र अथवा विवरण ऐसे तथ्यों की विद्यमानता की पुष्टि करता है। विकल्पतः दोनों पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति के अध्यधीन प्रथम पक्ष उपज के अपने कोटे को अन्य स्त्रोंतों से पूरा कर सकता है और कीमत अंतर के कारण उसके द्वारा उठाई गई हानि बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर दोनों पक्षकारों के बीच बराबर बांटा जाएगा।

**खण्ड–9**

द्वितीय पक्ष खेती और फसलोपरान्त प्रबंधन की अवधि के दौरान प्रथम पक्ष को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है। इन सेवाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है।

1.
2.
3.
4.

**खण्ड–10**

द्वितीय पक्ष अथवा इसके प्रतिनिधि करार की अवधि के दौरान प्रथम पक्ष द्वारा स्थापित/नामित कृषक फोरम के साथ नियमित बातचीत करने के लिए सहमत है।

**खण्ड–11**

द्वितीय पक्ष अथवा इसके प्रतिनिधियों को अपनी लागत पर समय–समय पर स्वीकृत कृषि पद्धतियों और उपज की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए प्रथम पक्ष के परिसरों/खेती में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

**खण्ड–12**

द्वितीय पक्ष यह पुष्टि करता है कि उसने स्वयं को दिनांक ..... को पंजीकरण अधिकरण .....के साथ पंजीकरण करवा लिया है और इस संबंध में प्रचलित कानून के अनुसार उसने पंजीकरण प्राधिकरण को नियत शुल्क प्रदान कर दिया है और किसी भी रीति में प्रथम पक्ष को दी गई राशि से काटा नहीं जाएगा।

**खण्ड–13**

इस करार के दौरान द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की भूमि सम्पत्ति पर हक, स्वामित्व, कब्जा करने का अधिकार नहीं होगा न ही यह किसी भी तरह प्रथम पक्ष को विशेषकर भूमि सम्पत्ति से अन्य सक्रान्त कर सकता है और न ही किसी भी तरह से पहले पक्षकार की भूमि सम्पत्ति को अन्य दूसरे व्यक्ति/संस्थान को बंधक स्वरूप, पट्टे पर, उप–पट्टे पर दे सकता है अथवा अन्तरित कर सकता है।

**खण्ड–14**

द्वितीय पक्ष इस करार की सही प्रति दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित करवाकर इसके करने की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर इस उद्देश्य के लिए विहित अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित ..... मंडी समिति/पंजीकरण प्राधिकरण/अन्य कोई पंजीकरण अधिनियम प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

**खण्ड–15**

करार का विघटन, पर्यवसान, रद्दकरण दोनों पक्षकारों की सहमति से होगा। ऐसे विघटन अथवा पर्यवसान/रद्दकरण का विलेख इस प्रकार के विघटन, पर्यवसान/रद्दकरण होने के 15 दिनों के अंदर पंजीकरण प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा।

**खण्ड–16**

इस विषय में दोनों पक्षकारों के बीच होने वाले विवाद अथवा मतभेद या इस प्रकार के अन्तर्गत अधिकारों और उत्तरदायित्वों के कारण या एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के विरूद्ध कोई आर्थिक दावा अथवा अन्यथा या इस करार की किन्हीं शर्तों की व्याख्या और प्रभाव के कारण ऐसे विवाद अथवा मतभेद, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित माध्यस्थम प्राधिकरण को निर्दिष्ट किये जायेंगे।

**खण्ड–17**

कृषि उत्पाद की कटाई एवं सुपुर्दगी लेने के बाद द्वितीय पक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सम्बन्धित प्रायोजक पंजीकरण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, कार्यालय में उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी अधिनियम (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 एव उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी अधिनियम (विकास एवं विनियमन) नियमावली, 2012 के उपबन्ध, नियम व उपविधियों में विहित विकास उपकर का भुगतान तत्काल करेगा। अन्यथा पारेक्षण की तिथि से तीन कार्यदिवसों के अन्दर विकास उपकर का संबंधित मण्डी समिति को भुगतान करेगा। विलम्ब की स्थिति में 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा। जिसकी कटौती धरोहर धनराशि से की जा सकेगी।

**खण्ड–18**

इस करार के किसी भी पक्षकार का पता परिवर्तन होने के मामले में, यह पता दूसरे पक्षकार और पंजीकरण प्राधिकरण को भी सूचित किया जाना चाहिए।

**खण्ड–19**

इस विषय में प्रत्येक पक्षकार इस करार के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्वों के निष्पादन में दूसरे पक्षकार के साथ सदभावनापूर्वक, तत्परतापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करेगा और दूसरे के हित को जोखिम में नहीं डालेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख .....दिन .... .....माह और .....वर्ष में इस करार में हस्ताक्षर कर दिए हैं।

पहले भाग के पक्षकार ..... ने)

1. ..... )

2. ..... )

पहले भाग के पक्षकार के गवाह ..... ने)

1. ..... )

2. ..... )

दूसरे भाग के पक्षकार ..... ने)

1. ..... )

2. ..... )

दूसरे भाग के पक्षकार के गवाह ..... ने)

1. ..... )

2. ..... )

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया।

## अनुसूची
## श्रेणी विनिर्देशन, मात्रा और कीमत चार्ट

| श्रेणी | विनिर्देशन | मात्रा | कीमत / दर |
|---|---|---|---|
| श्रेणी 1 अथवा क | आकार, रंग, सुवास (एरोमा) इत्यादि | | |
| श्रेणी 2 अथवा ख | | | |

## संविदा कृषि प्रायोजक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र

**प्रपत्र सं0 11**

**नियम 3 (3)(एक)**

सेवा में,

.....

.....

महोदय,

मैं/हम .....(नाम) ..... .....(पता) (दूरभाष/मोबाईल नं0) .....कृषि वर्ष.....में माह.....से.....तक की अवधि के लिए संविदा कृषि प्रायोजक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन कर रहे हैं।

मैं/हम .....मण्डी समिति/समितियों के लिए पंजीकरण के इच्छुक हैं तथा मेरे/हमारे प्रसंस्करण इकाई/विर्निमाण इकाई की वार्षिक क्षमता.....कुन्तल है।

1.

2.

3.

मैं इस आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ:–

**(क)** बैंक विवरण (बैंक प्राधिकारी द्वारा सत्यापित पिछले एक साल का लेन–देन)

**(ख)** कम्पनी /साझेदारी फर्म/ गैर सरकारी संगठनों / सहकारी समिति /सरकारी क्रय संस्था आदि के नाम पंजीकरण दस्तावेजों तथा निदेशकों, साझीदारों आदि के नाम व पतों का विवरण (प्रमाण सहित)

**(ग)** संविदा के अन्तर्गत आने वाले कृषि उत्पाद का विवरण

**(घ)** रू0 1000 की दर से प्रति फसल प्रति करार का बैक ड्राफ्ट

**(ड.)** आवेदक का पेन/ टेन न0

**(च)** संम्बन्धित विभाग/ संस्था द्वारा जारी निर्यातक/ प्रसंस्करणकर्ता /विनिर्माणकर्ता हेतु अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति

**आवेदक के हस्ताक्षर.....**

**आवेदक का नाम.....**

## संविदा कृषि प्रायोजक का पंजीकरण

**प्रपत्र सं0 12**
**नियम 3 (3)(दो)**

सेवा में,

.....

.....

विषयः मण्डी समिति/समितियों में संविदा कृषि प्रायोजक के रूप में पंजीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके दिनांक ..... के आवेदन पत्र संख्या ..... के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि पंजीकरण हेतु आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। पंजीकरण सं0 ..... दिनांक ..... पंजीकरण राज्य के निम्नलिखित मण्डी समिति/समितियों में प्रचालन हेतु ..... से ..... तक की अवधि के लिए है।

1.
2.
3.
4.
5.

पंजीकरण की शर्तें नीचे दी गई हैं।

1. पंजीकरणधारक अधिनियम नियमावली एवं इस निमित्त जारी अनुदेशों का पालन करेगा।
2. पंजीकरणधारक संविदा में दी गई शर्तों और निर्बधनों का पालन करेगा।

**दिनांकः**

**स्थानः**

**पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर.....**

**पंजीकरण प्राधिकारी का नाम .....**

**पंजीकरण प्राधिकारी का पदनाम.....**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article, 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. /XIII –II/40 (1)/2014, dated , 2016.

**Government of Uttarakhand**
**Agriculture & Marketing Section – 2**
**No.: 964 /XIII – II/40 (1)/2014**
**Dehradun: dated 20 / 12/2016**

## NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by section 93 of Uttarakhand Agriculture Produce Mandi (Development & Regulation) Act, 2011, the Governor makes the following rules by superseding all rules/regulations prevailing in this subject:-

## The Uttarakhand Agriculture Produce Mandi Contract Farming (Development & Regulation) Rules, 2016

### Chapter – One
### Preliminary

**Short title Extent & commencement**

(1) These rules may be called the Uttarakhand Agriculture Produce Mandi Contract Farming (Development & Regulation) Rules, 2016.

(2) It extends to the whole State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

**Definitions**

**2.** (1)Unless context otherwise required in these rules:

(a) "Mandi Act" means the Uttarakhand Agriculture Produce Mandi (Development and Regulation) Act, 2011;

451

date of receipt of the application shall be given by the prescribed authority.

(iii) The registration made once shall be valid for five years.

(4)(i) For registration or renewal of agreement of contract farming by the sponsor shall apply in writing in form-11 before the prescribed authority appoint in rule 3(1) with documents and a bank draft for an amount of Rs.1000/- (one thousand only) per agreement registration/renewal fees.

(ii) The information of registration by post or through e-mail within 15 days from the date of receipt of application shall be given by the prescribed authority.

(5) For disposal of disputes under Section-79(c) of Mandi Act, the Managing Director, Uttarakhand Agriculture Produce Marketing Board, shall be the prescribed authority.

(6) Under Section-79(d) of Mandi Act the Principal Secretary, Law or an officer not below the rank of Additional Secretary, Law nominated by him shall be the Appellate Authority.

By order,

20/12/2016

**(Dr. Ranveer Singh)**
Add. Chief Secretary

# Contract Farming Model Agreement

(450)

## Form – 10

## Rule – 3 (2)

This agreement is made on .....20..... at .....between Shri/Shrimati.....age.....resident of ..... (First party) and Shri/Shrimati.....age..... resident of ..... (Second party).

(Unless inconsistent to the context, the first party and second party means ..... and it includes his heirs, executors, administrators and assignees also) M/s .....is a private/public limited company established under the Companies Act, 1956 and its registered olffice its at ..... which has been referred as second party of second part.

The party to the first part is the owner/farmer olf the agricultural land and its details are given as under: -

| Village | Item No. | Area in Hectare | Tehsil and District | State |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Second Party is engaged in agriculture produce business and also providing technical know-how in the fields of land preparation, nursery, fertility, irrigation, harvesting and similar matters.

Second party is much attracted towards the items of agriculture produce mentioned in list no.1 enclosed herewith and on request of second party, the first party has agreed for the farming and increasing the yield of agriculture produce mentioned in list no.1 enclosed herewith.

Both parties enter into agreement to reduce the conditions by the method described ahead.

This agreement witnesseth that both the parties entered into this agreement as under:-

**Clause-1**

The first party is agreed to agriculture production and to give it to the second party and the second party is agreed to purchase the items of agriculture produce from first party. The details of item, quality, quantity and prices of item are specifically mentioned in enclosed list-1.

**Clause-2**

The agriculture produce detailed in enclosed schedule-1 shall be given by the first party to second party within the period of .....months/year of dated .....

Or

It is quite clearly agreed by both the parties that the agreement for agriculture produce detailed in enclosed list-1 is for a period of .....months/years on the expiry of this period the agreement shall be automatically terminated.

**Clause-3**

This first part is agreed for farming and giving its produce in the quantity mentioned in list-1 to the second party.

**Clause-4**

The first party is agreed to give the contracted quantity as per quality specification prescribed in Schedule-1 to the second party. In case the agriculture produce is not as per agreed quality standards the second party may refuse to take delivery of such agriculture produce.

448

(a) The first party shall be free to sell the produce at renewed price by mutual consent to the second party.

Or

(b) In case he gets a lower price in open market (wholesaler i.e. exporter/manufacturer) he will give less in proportion to his investment.

Or

(c) If price received in mandi yard is lower than the contracted price, he shall return less to the second party in proportion to his investment.

In case the second party refuses or fails to take delivery of contracted yield for any of his own reasons, the first party shall be free to sell it in the open market and if the price received is lower than the contracted price and the difference of price is due to the act of second party, the second party shall pay this difference to first party within a period of ..... days.

**Clause-5**

The first party agrees to prepare land, nursery, fertility, vermin management, irrigation, harvesting as per suggestions given from time to time by the second party and to do farming as per specifications mentioned in Schedule-1.

**Clause-6**

There is a clear agreement between both the parties that the delivery shall be made as per following conditions and transmission receipt shall be given immediately after the delivery.

| Date | Delivery | Cost of the Delivery |
|---|---|---|

It is also agreed that it will be the responsibility of second party to take possession of contracted produce after its delivery. In case he fails to take delivery within ..... period, the first party shall be free to sell the contracted agriculture produce as under: -

(a) In open market (wholesaler i.e. exporter/sources/manufacturer) and in case receives a lower price than the contracted price, he will give less to the second party in proportion to his investment.

(b) In case the price received in mandi yard is lower than the contracted price, he will return less to the second party in proportion to his investment.

**Clause-7**

On handing over the produce to the second party after harvesting, the second party shall him the price/rate mentioned in Schedule-1 after deducting the balance amount of all advances made to the first party. Following list shall be complied for making payments: -

| Date | Mode of Payment | Place of Payment |
|---|---|---|
| | | |

**Clause-8**

The parties to the payment shall insure the contracted yield mentioned in enclosed Schedule-1 for a period of ..... against the risks of natural calamities, destruction of specified assets, loss of production and income and other untoward incidents out of control of parties such as epidemic, abnormal weather, flood, drought, hail storm, tornado, earthquake, fire, war or acts of government wholly or partially affecting the farmers commitment on request the first party doing such work shall confirm the existence of such facts to the second party. Such evidence shall include the details of certificate of proper government department. In case the details of such certificate are not reasonably received the first party claiming of such works shall prepare notary details containing the description and reasons of the claimed facts as to why the certificate or details confirm the existence of such facts. As an option the first party may fulfill his quota of the yield from other sources subject to the mutual consent of both the parties. The loss incurred by him due to price difference may be divided between both parties from insurance company.

**Clause-9**

The second party is agreed to provide following services to the first party during the period of farming and post crop management:-

1.
2.
3.
4.

446

**Clause-10**

The second party or his representatives agree to regularly communicate with farmers forum established/named by the first party during the period of agreement.

**Clause-11**

The second party or their representatives shall have the right to enter into the campus/farming of first party for inspection of accepted farming methods and quality of yield from time to time at their own cost.

**Clause-12**

The second party confirms that he got himself registered with Registration Authority..... on dated..... and the prescribed fees has been paid to the Registration Authority as per prevailing law in this respect and it shall not be deducted from the amount paid to first party.

**Clause-13**

During the agreement period the second party shall have no right to any entitlement, ownership or possession on the land property of first party. The second party cannot remove first party from the land property nor can it mortgage or lease or transfer the land property to any person/establishment.

**Clause-14**

The second party shall submit a true copy of the agreement signed by both the parties within 15 days from the date of agreement to Mandi Society/Registration Authority/other Registration Act Authority as required by the prescribed Act for this purpose.

**Clause-15**

The conclusion dissolution and cancellation of the agreement shall be with the consent of both the parties. The deed of such conclusion, dissolution, cancellation shall be sent to the Registration Authority within 15 days of such dissolution, conclusion, and cancellation.

**Clause-16**

Any disputes or difference of opinion between the two parties on this subject or any financial claim to one party over the other party due to rights and obligations or any disputes or difference of opinion in respect of interpretation of any

conditions shall be referred to the Arbitration Authority constituted by the State government for this purpose.

**Clause-17**

After harvesting of agriculture produce and on taking its delivery, it shall be the responsibility of second party to immediately make payment to the concerned sponsor, registration authority or authorise officer, as the case may be, of development cess prescribed in the provisions of Uttarakhand Agriculture Produce Mandi Act (Development & Regulations) Act, 2011 and Uttarakhand Agriculture Produce Mandi Act (Development & Regulation) Act, 2012, or make payment of development cess to the concerned Mandi Society within three working days of transmission. In case of delay an interest at the rate of 2 percent per month shall be payable and it may be deducted from the earnest money.

**Clause-18**

In case of change of address of either of the parties it must be intimated to the other party and also to the registration authority.

**Clause-19** In this matter, each party to the agreement shall work sincerely and faithfully with each other in execution of their obligations and shall not jeopardise the interests of other party.

In witness of this agreement, the parties to this agreement have signed these on the date mentioned at the beginning of this agreement.

Signed, sealed and delivered in presence of: -

Party of the first part

1. .....

2. .....

Witnesses of the first part

1. .....

2. .....

Party of the second part

1. .....

2. .....

Witnesses of the second part

1. .....

2. .....

Signed, sealed and delivered in presence.

**Schedule**

| Class | Specifications | Quantity | Price/Rate |
|---|---|---|---|
| Class 1 or a | Size, colour, aroma etc | | |
| Class 2 or b | | | |

**Application form for registration of contract**

**Farming Sponsor**

Form No. 11

Rule 3 (3) (one)

To,

.....

.....

Sir,

I/We .....(name).....am / are making an application for registration as contract farming sponsor for the period of ..... to ..... in agriculture year ..... .

I/We am/are interested in registration for .....Mandi Society/societies and the annual capacity of my/our processing unit/manufacturing unit is ..... quintal.

1. .....
2. .....
3. .....

I/We am/are enclosing following documents with the application: -

(a) Bank details (Transaction of last one year verified by the bank authority).

(b) Details of documents registered in the name of company/partnership firm/non-governmental organisations/cooperative societies / Government Buying Agency etc and names and addresses of Directors/Partners etc (with proof).

(c) Details of agriculture produce falling under the contract.

(d) Bank draft at the rate of Rs.1000/- per crop per agreement.

(e) PAN no./TAN no. of the applicant.

(f) Certified true copy of license/registration for exporter/ processor/ manufacturer / issued by the concerned department/institution.

Signature of Applicant

.....

Name of Applicant

.....

**Registration of Contract**

**Farming Sponsor**

Form No. 12

Rule 3 (3) (two)

442

To,

.....

.....

Subject: Registration for contract farming sponsor in Mandi Society/Societies.

Sir,

With reference to your application form no. ..... of dated ..... on the above subject, this is to inform you that your application for registration has been accepted. The Registration no. ..... dated is for the period from ..... to ..... for operation in following Mandi Society/Societies of the State.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

The terms and conditions of the registration are given below:-

1. The registration holder shall comply with the Act rules and instructions issued in this behalf.
2. The registration holder shall comply with the terms and conditions given in the contract.

Date:

Place:

Signature of Registration Authority

.....

Name of Registration Authority

.....

Post of Registration Authority

.....